न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट सैंथली)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/293 /15

निर्णय दिनांक : 03.06.2016

उनवान

1. मखतूल बाई पुत्री श्री गोविन्दसिंह जाति राजपूत
2. भीकम सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत
3. चन्दन सिंह पुत्र श्री प्रयाग सिंह जाति राजपूत
4. गिरजा देवी पत्नी श्री पूरण सिंह जाति राजपूत
5. मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह जाति राजपूत नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता गिरजादेवी
6. बहादरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
7. भागीरथसिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासियान ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

............................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ।

............प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वांदी द्वारा . प्रस्तुत वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 85, 10 रकबा 1.04, 13 रकबा 0.90, 14 रकबा 1. 10, 15 रकबा 0.60, 16 रकबा 0.30, 17 रकबा 0.40, 18 रकबा 0.70, 19 रकबा 0.60, 20 रकबा 0.25, 21 रकबा 0.40 किता 11 कुल रकबा 7.14 है जो साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा व 7 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किता 2 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा से कायम हुऐ है, वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत 2038 में प्रेमसिंह के पिता का नाम लक्ष्मणसिंह उर्फ भंवरसिंह के स्थान पर जो भंवरसिंह, अमरसिह पिता माधो सिंह दर्ज कर दिया गया अर्थात प्रेमसिंह के पिता को अमरसिंह का भाई गलत प्रकार से दर्ज किया गया, जिसमें कि विवादित आराजी के तीन के बजाय चार हिस्सेदार दर्ज हो जाते है, इसलिए उक्त गलत इन्द्राज को वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जावे तथा कागजातमाल ताहाल में से भंवरसिंह पुत्र माधोसिंह नाम कलमजन कराया जावे और वादी सं0 1 का हिस्सा 1/10 के स्थान पर 2/15, वादी सं0 2 का हिस्सा 1/10 के स्थान पर 2/15, वादी सं0 3 का हिस्सा 1/60 के बजाय 1/45, वादी सं0 4 का हिस्सा 1/120 के बजाय 1/90, वाादी सं0 5 का हिस्सा 1/120 के बजाय 1/90, वादी सं0 6 का हिस्सा 1/30 के बजाय 2/45, वादी सं0 7 का हिस्सा भी 1/30 के बजाय 2/45 दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

 राजस्थान सरकार जर्ये जिला ...

कराया जावे और इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजातमाल ताहाल में दुरूस्ती कराई जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैंथली में दिनांक 03.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने लोक अदालत में जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर वादीगण का हिस्सा मुताबिक प्रार्थना दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैंथली में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादीगण का हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 85, 10 रकबा 1.04, 13 रकबा 0.90, 14 रकबा 1.10, 15 रकबा 0.60, 16 रकबा 0.30, 17 रकबा 0.40, 18 रकबा 0.70, 19 रकबा 0.60, 20 रकबा 0.25, 21 रकबा 0.40 किता 11 कुल रकबा 7.14 हैक्ट0 वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रेमसिंह के पिता को अमरसिंह का भाई गलत प्रकार से दर्ज किया गया, जिसमें कि विवादित आराजी के तीन के बजाय चार हिस्सेदार दर्ज हो जाते है, इसलिए उक्त गलत इन्द्राज को कागजातमाल ताहाल में से भंवरसिंह पुत्र माधोसिंह नाम कलमजन किया जावे और वादी सं0 1 का हिस्सा 1/10 के स्थान पर 2/15, वादी सं0 2 का हिस्सा 1/10 के स्थान पर 2/15, वादी सं0 3 का हिस्सा 1/60 के बजाय 1/45, वादी सं0 4 का हिस्सा 1/120 के बजाय 1/90, वाादी सं0 5 का हिस्सा 1/120 के बजाय 1/90, वादी सं0 6 का हिस्सा 1/30 के बजाय 2/45, वादी सं0 7 का हिस्सा भी 1/30 के बजाय 2/45 दर्ज किया जाकर इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर कागजातमाल ताहाल में दुरूस्ती की कार्यवाही नियमानुसार करे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत सैंथली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट सैंथली)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/293 /15 निर्णय दिनांक : 03.06.2016

उनवान

1. मखतूल बाई पुत्री श्री गोविन्दसिंह जाति राजपूत
2. भीकम सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत
3. चन्दन सिंह पुत्र श्री प्रयाग सिंह जाति राजपूत
4. गिरजा देवी पत्नी श्री पूरण सिंह जाति राजपूत
5. मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह जाति राजपूत नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता गिरजादेवी
6. बहादरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
7. भागीरथसिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासियान मंगलेशपुर तह0 रामगढ (अलवर)।

..............................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ।

.............प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 85, 10 रकबा 1.04, 13 रकबा 0.90, 14 रकबा 1.10, 15 रकबा 0.60, 16 रकबा 0.30, 17 रकबा 0.40, 18 रकबा 0.70, 19 रकबा 0.60, 20 रकबा 0.25, 21 रकबा 0.40 किता 11 कुल रकबा 7.14 हैक्ट0 वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रेमसिंह के पिता को अमरसिंह का भाई गलत प्रकार से दर्ज किया गया, जिसमें कि विवादित आराजी के तीन के बजाय चार हिस्सेदार दर्ज हो जाते है, इसलिए उक्त गलत इन्द्राज को कागजातमाल ताहाल में से भंवरसिंह पुत्र माधोसिंह नाम कलमजन किया जावे और वादी सं0 1 का हिस्सा 1/10 के स्थान पर 2/15, वादी सं0 2 का हिस्सा 1/10 के स्थान पर 2/15, वादी सं0 3 का हिस्सा 1/60 के बजाय 1/45, वादी सं0 4 का हिस्सा 1/120 के बजाय 1/90, वाादी सं0 5 का हिस्सा 1/120 के बजाय 1/90, वादी सं0 6 का हिस्सा 1/30 के बजाय 2/45, वादी सं0 7 का हिस्सा भी 1/30 के बजाय 2/45 दर्ज किया जाकर इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर कागजातमाल ताहाल में दुरूस्ती की कार्यवाही नियमानुसार करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

1 राजस्थान सरकार जारय जिला कलक्टर महादय, अलवर